

हिन्दी प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी चंडीगढ़
(तिथि 27 अप्रैल 2026, समय 18:10 (10 मिनट))

मुख्य समाचार

- हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के समर्थन में लाया गया सरकारी प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित ।
- मुख्यमंत्री ने सत्र का बहिष्कार करने पर कॉंग्रेस की आलोचना की ।
- विधान सभा में ,एक सरकारी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से महिला सशक्तिकरण पर विधान सभा की विशेष समिति के गठन को मंजूरी दी गई ।
- हरियाणा सरकार ने हरियाणा लिपिकीय सेवा (भर्ती और सेवा शर्तें) विधेयक 2026 पारित कराया ।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा - देश में एल पी जी का पर्याप्त भंडार मौजूद ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में सरकारी प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि कोई भी क्षेत्र या समाज तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जा

सकता, जब तक उसकी आधी आबादी माताओं और बहनों को सम्मान, समान अवसर और अधिकार नहीं मिलते।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के संकल्प का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके चार प्रमुख स्तंभों में महिलाओं को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।

वर्ष 2023 में संसद द्वारा पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। यद्यपि इस कानून के क्रियान्वयन की समय सीमा वर्ष 2034 निर्धारित की गई थी, तथापि इसे वर्ष 2029 तक लागू करने के उद्देश्य से 16 व 17 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें संबंधित संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, किन्तु विपक्ष के रवैये के कारण महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल सका ।

आज विशेष सत्र का बहिष्कार किए जाने पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को सदन में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए थी और उसके बाद विरोध दर्ज कराना चाहिए था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन कर अपने शीर्ष नेतृत्व को सकारात्मक संदेश देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय विसेश सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री महीपाल पांडा द्वारा सदन में लाए गए सरकारी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से महिला सशक्तिकरण पर विधानसभा की एक विशेष समिति के गठन को मंजूरी दी गई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर इस प्रकार की पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण ने सत्र के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री के आग्रह को स्वीकार करते हुए महिला सशक्तिकरण पर हरियाणा विधानसभा की एक 9 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने की घोषणा की जिसमें अध्यक्ष सहित 5 महिला सदस्य होंगी। इस समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। समिति के गठन को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष व सदन के सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा की महिला सशक्तिकरण समिति गठित होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप महिलाओं को ताकत मिलेगी।

प्रादेशिक सामाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग- इन कर सकते हैं।

यह समाचार हमारे यू- ट्यूब चैनल और एक्स हैंडल Akashvani News Chandigarh पर भी उपलब्ध हैं।

हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कर्मचारियों के हितों में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार द्वारा लाया गया हरियाणा लिपिकीय सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) विधेयक, 2026' पारित किया गया।

सदन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह विधेयक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और न्यायसंगत बनाएगा।

विधेयक पारित होने से अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिक पद पर पदोन्नति का कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे अधिक संख्या में कर्मचारी पदोन्नत हो सकेंगे।

केंद्र सरकार ने आज कहा कि वह पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न हो रही स्थिति में नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली में अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है।

उन्होंने बताया कि कल रविवार होने के बावजूद भी कई सारे डिस्ट्रिब्यूटर ने LPG के सिलंडर की डिलीवरी की है। अप्रैल महीने में

अब तक लगभग 1,65,600 टन से अधिक कमर्शियल LPG की बिक्री की जा चुकी है।

कुरुक्षेत्र में आज नारी शक्ति वंदन आक्रोश कार्यक्रम का आयोजन हुआ कार्यक्रम में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष सुमन सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं।

श्री मति सुमन सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा -

आज भिवानी के पंचायत भवन में भी नारी शक्ति जन आक्रोश सम्मेलन का आयोजन किया गया । सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मीना परमार ने कांग्रेस की जमकर घेराबंदी की। सम्मेलन के दौरान महिलाओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे अब अपने अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगी। जिला महामंत्री रेखा राघव द्वारा आयोजित सम्मेलन में जिले की विभिन्न इकाइयों से आई महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

हरियाणा सरकार ने दो नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-पी एच सी खोलने की मंजूरी दी है। इनमें एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिवानी जिला के गांव सूई तथा दूसरा पलवल जिला के गांव अमरपुर में खोल जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि भिवानी जिला के गांव सूई में खुलने वाली पीएचसी के निर्माण पर 4 करोड़ 66 लाख 35 हजार रुपए तथा

पलवल जिला के गांव अमरपुर में खुलने वाली पीएचसी के निर्माण पर 4 करोड़ 39 लाख 33 हजार रुपए खर्च होंगे।

आरती सिंह राव ने बताया कि उक्त स्वास्थ्य संस्थानों के शुरू होने से न केवल बड़े अस्पतालों पर भी दबाव कम होगा, बल्कि इससे लोगों को समय पर इलाज भी मिल सकेगा।

हरियाणा और चंडीगढ़ में लू चल रही है। मौसम विभाग ने रात के भी गरम बने रहने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में 27 व 30 अप्रैल और 2 और 3 मई को कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर की गति से तेज़ हवाओं के साथ आंधी चलने और बिजली के गरजने की संभावना है। राज्य में 28 और 29 तारीख को कुछ जगहों पर तथा 27 तारीख को और 30 अप्रैल से 3 मई तक कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, और उसके बाद इसमें लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है।
